

//कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ (म०प्र०)//

क्रमांक/

/17

झाबुआ, दिनांक

/08/17

//विज्ञप्ति//

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायिक जिला स्थापना झाबुआ पर शासकीय वाहन एम्बेसेडर कार क्रमांक एम.पी.02-5405 नीलाम किये जाने हेतु बंद लिफाफे में निविदा दिनांक 11/09/17 को कार्यालयीन समय सायंकाल 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।


वाहन एवं निविदा से संबंधीत जानकारी निम्नानुसार है -

क्रं.	वाहन क्रमांक	वाहन का प्रकार	ऑफसेट मूल्य	अमानत राशि
1	एम.पी.-02-5405 मॉडल वर्ष 2001	एम्बेसेडर कार	45,000/-	500/-

शर्ते

नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को निम्नांकित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

1. नीलामी बंद लिफाफे में निविदा जिला न्यायालय परिसर, झाबुआ में दिनांक 11/09/17 को सायंकाल 5.00 बजे तक नजारत अनुभाग झाबुआ में जमा की जावेगी।
2. निविदाकर्ता कार्यालय समय प्रातः 10.30 से सायं 5.30 बजे तक जिला न्यायालय झाबुआ में जिला नाजिर, झाबुआ को अमानत राशि के रूप में 500/- रु. जमा करा कर रखीद प्राप्त कर सकेगा। उक्त राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
3. प्राप्त निविदा को प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग द्वारा दिनांक 11/09/17 को सायंकाल 5.30 बजे खोला जावेगा जिसमें अधिकतम प्राप्त राशि की निविदा का अनुमोदन माननीय जिला न्यायाधीश, झाबुआ द्वारा किये जाने के उपरांत शेष राशि तत्काल जमा कराकर वाहन का आधिपत्य प्राप्त करना होगा।
4. अधिकतम निविदाकर्ता द्वारा अधिकतम निविदा राशि को जमा न कराये जाने की स्थिति में उसके द्वारा जमा अमानत राशि राजसात कर ली जायेगी।
5. वाहन प्राप्त करने के उपरांत परिवहन विभाग व अन्य व्यय वाहन प्राप्तकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।
6. वाहन जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में नीलाम होगा। वाहन का अवलोकन करना चाहें तो नजारत अनुभाग, झाबुआ में कार्यालय समय में सम्पर्क कर अवलोकन कर सकते हैं।
7. निविदा को निरस्त किये जाने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, झाबुआ को रहेगा।
8. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार सिविल जिला झाबुआ रहेगा।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला-झाबुआ (म.प्र.)